कौशल विकास एवं उद्यमिता

उद्यमिता एवं कौशल विकास तथा राजस्थान में उद्यमिता एवं कौशल विकास क्षेत्र में किए गए अभिनव प्रयत्न

सीखने के बिन्दु

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेंगे–

- उद्यमिता/साहस के विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व ।
- अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का महत्व।
- उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम – अर्थ, विशेषताएँ एवं उद्देश्य।
- विगत वर्षों में राजस्थान में उद्यमिता रोजगार तथा कौशल विकास के क्षेत्र में किए गए प्रयास

उद्यमिता/साहस के विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व
Factor affecting development of Entrepreneurship

उद्यमिता के विकास से तात्पर्य उन कार्यों एवं योजनाओं को लागू करने से है जिनसे लोगों में जोखिम उठाने की भावना का अधिकाधिक विकास होता है तथा व्यवसाय में नवप्रवर्तनकारी एवं सृजनात्मक क्रियाओं की गति बढ़ती है।

साहस का विकास अनेक तत्त्वों से प्रभावित होता है। अनेक विद्वानों ने इस क्षेत्र में अनुसंधान किया है और सभी ने अपने अपने निष्कर्ष भी प्रस्तुत किये हैं। शुम्पीटर वातावरण एवं व्यक्तिगत योग्यता को उद्यमिता के विकास का आधारभूत कारण मानते हैं। जबकि मेक्क्लीलैंड उपलब्धि एवं सत्ता की उच्च आकांक्षा को ही उद्यमिता के विकास के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं। अन्य विद्वानों ने कुछ अन्य तत्वों को महत्व प्रदान किया है। वस्तुस्थिति यह है कि व्यवहार में उद्यमिता के विकास में अनेक तत्त्वों का सामूहिक प्रभाव होता है। उद्यमिता के विकास को प्रभावित करने वाले कुछ प्रमुख तत्त्व निम्नलिखित हैं –

1. व्यक्तिगत गुण – किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत गुण भी साहसी बनने या न बनने को बहुत बड़ी सीमा तक प्रभावित करते हैं। परिश्रमी, कल्पनाशील, पहलपन की क्षमता, आशावादिता, दूरदर्शिता, जोखिम उठाने की क्षमता, गतिशील विचार आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता आदि

व्यक्तिगत गुण जिनमें पाये जाते हैं, वे अच्छे साहसी होते हैं। शुम्पीटर व्यक्तिगत गुणों को साहसी के विकास के लिए आधारभूत मानते हैं। अतः अच्छे साहसियों के विकास के लिए इन गुणों को विकसित किया जाना आवश्यक है।

2. व्यक्ति की आकांक्षा – प्रत्येक व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा के अनुरूप ही कार्य करता है। जो व्यक्ति जितना महत्वाकांक्षी होता है, वह उतना ही साहसी होता है। जिस व्यक्ति के जीवन में आकांक्षाएँ न हों वह साहसी नहीं बन सकता है। मैक्कलीलैंड ने शोध करके यह निष्कर्ष निकाला कि 'उपलब्धि एवं सत्ता की उच्च महत्वकांक्षा का परिणाम ही साहस है।' अतः व्यक्ति की आकांक्षाएँ साहसियों के विकास में महत्वपूर्ण मानी जाती है।

3. पारिवारिक परिस्थितियाँ – प्रत्येक व्यक्ति की पारिवारिक परिस्थितियाँ भिन्न–भिन्न होती हैं। कई व्यक्तियों की पारिवारिक परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उन्हें जोखिम युक्त कार्य करने का अवसर ही नहीं मिल पाता है। उदाहरण के लिए आर्थिक भार से दबे परिवारों के नवयुवक मजबूरी में कम उम्र में ही नौकरी स्वीकार कर लेते हैं और इस कारण उनके साहस का गला ही घुट जाता है। अतः पारिवारिक परिस्थितियाँ भी व्यक्ति के साहसी बनने या न बनने के निर्णय को प्रभावित करती हैं।

4. साहस विकास कार्यक्रम – आज प्रत्येक प्रगतिशील सरकार साहस के विकास के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। ऐसे कार्यक्रम युवा वर्ग को साहसिक कार्य करने में सहयोग देते हैं। इस हेतु सरकार अनेक संस्थाओं एवं संगठनों की स्थापना करती रहती है। ऐसी संस्थाएँ साहस भावना को विकसित करने के लिए तथा साहसियों की समस्याओं को दूर करने के अनेक कार्य करती हैं। इससे देश में साहस भावना का विकास होने लगता है।

5. वैधानिक एवं नीतिगत सुविधाएँ – सरकार वैधानिक प्रावधानों में छूट देकर तथा व्यावहारिक नीतियों का निर्माण करके भी साहसियों का विकास करती है। औद्योगिक नीति, लाइसेंस नीति, आयात–निर्यात नीति, कर ढाँचे आदि में सुविधाजनक एवं व्यावहारिक परिवर्तन करके सरकार देश में साहस का विकास कर सकती है। हमारे देश में पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक नीतियों को बहुत अधिक व्यवहारिक बनाने का प्रयत्न किया गया है इससे देश में साहस के विकास को आशातीत गति मिली है।

6. शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ – समाज में शिक्षण एवं प्रशिक्षण सुविधाएँ भी साहस के विकास को प्रभावित करती हैं। जिस देश में जितनी अधिक साहस के शिक्षण एवं प्रशिक्षण की सुविधाएँ होंगी, साहस का विकास भी उतना ही अधिक होगा। हमारे देश में भी अनेक संस्थाएँ हैं जो व्यावसायिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती हैं। इन सबसे साहस के विकास में योगदान मिलता है।

7. परम्पराएँ – प्रत्येक समाज की परम्पराएँ उस समाज की भावी पीढ़ी की कार्य प्रणाली को प्रभावित करती हैं। प्रायः कई लोग सामाजिक परम्परा के अनुरूप ही कार्य स्वीकार भी करते हैं। कई वैश्य पुत्र वैश्य का कार्य करना ही उपयुक्त समझते रहे हैं तथा अन्य वर्ग के कई लोग व्यवसाय करना उपयुक्त ही नहीं समझते रहे हैं। समय परिवर्तन के साथ–साथ परम्पराएँ बदल रही हैं।

8. शोध एवं साहित्य सृजन – साहस से संबंधित विषयों पर शोध तथा अनुसंधान होने तथा उससे प्राप्त निष्कर्षों के प्रकाशन होते रहने से देश में साहस का विकास होता है। आज देश–विदेश में अनेक व्यक्ति 'साहस' पर शोध कर रहे हैं, उनके शोध–ग्रंथ एवं लेख प्रकाशित हो रहे हैं। इससे भावी पीढ़ी को साहसी बनने का अवसर मिल रहा है।

9. आर्थिक सहायता – सरकार, साहसियों को आर्थिक सहायता प्रदान करके भी साहसियों का विकास कर सकती है। उन्हें नवप्रवर्तन करने के लिए भी प्रेरणा दे सकती है। हमारे देश में अनेक प्रकार से आर्थिक सहायता देकर उद्यमिता का विकास के गंभीर प्रयत्न किये जा रहे हैं।

10. आधारभूत साधनों की उपलब्धि – सरकार आधार भूत साधन उपलब्ध करवाकर भी देश में साहस का विकास कर सकती है। औद्योगिक बस्तियों का निर्माण कच्चे माल की समयबद्ध

आपूर्ति, ऊर्जा के साधनों की आपूर्ति, परिवहन तथा संचार की समुचित व्यवस्था बीमा एवं वित्तीय सुविधाएँ आदि प्रमुख आधारभूत साधन हैं। जिनसे देश में साहस का विकास किया जा सकता है।

11. वित्तीय सुविधाएँ – वित्तीय सुविधाएँ साहसियों के विकास में योगदान देती हैं। यदि वित्त की उपलब्धि आसान शर्तों पर होती है तो देश में साहस का विकास अपेक्षाकृत तीव्र गति से होता है। अतः प्रत्येक सरकार दीर्घकालीन एवं अल्पकालीन वित्तीय सुविधाओं में वृद्धि करके देश में साहस का विकास कर सकती है।

12. आधारभूत आर्थिक ढाँचे का स्तर – देश में आधारभूत आर्थिक ढाँचे का स्तर भी साहसियों के विकास को प्रभावित करता है। कच्चे माल की आपूर्ति शक्ति के साधन संचार तथा परिवहन के साधन प्रबन्धकीय परामर्श सेवाएँ, पूँजीगत साधनों की आपूर्ति, विदेशी मुद्रा कोष, श्रम शक्ति औद्योगिक शक्ति आदि सभी साहसियों के विकास को प्रभावित करते हैं। जिस देश का आर्थिक ढाँचा सशक्त होगा, उस देश में साहसियों का विकास भी अधिक तीव्र गति से होगा।

13. व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा की स्थिति – यदि देश में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की स्थिति होती है तो वहाँ साहस का विकास आसानी से होता है। यदि देश में अस्वस्थ एवं गलाकाट प्रतिस्पर्धा हो तो साहस के विकास की गति सीमित ही रहती है यदि बड़े उद्योगों के साथ–साथ लघु एवं कुटीर उद्योगों के विकास के अवसर उपलब्ध रहते हैं, तो साहस का विकास होता रहता है। सरकार अपनी नीतियों एवं कानूनी व्यवस्थाओं के द्वारा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का निर्माण कर सकती है। इससे देश में साहस के विकास की गति बढ़ायी जा सकती है।

इस प्रकार से सभी तत्त्व देश में साहस के विकास की गति को प्रभावित करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि ये सभी तत्त्व साहस के विकास को एक साथ प्रभावित करते हैं। केवल एक या कुछ तत्त्वों के उपलब्ध होने से साहस का संतुलित विकास नहीं हो सकता है। अतः प्रत्येक देश में इन सभी तत्त्वों को संतुलित रूप से विकसित करना चाहिए ताकि साहसियों का निरंतर विकास संभव हो सके।

अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का महत्व
(Importance Entrepreneurship for Development of Economy)

किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता ही देश में उपलब्ध संसाधनों का उचित विदोहन कर उनका अधिकतम सदुपयोग संभव बनाता है। इसलिए आधुनिक अर्थशास्त्रियों की यह धारणा है कि उद्यमिता उत्पादन का एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण साधन ही नहीं है, अपितु 'विकास का जनक' भी है।

अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता के महत्व को निम्नलिखित बिन्दुओं की सहायता से आसानी से समझा जा सकता है–

1. व्यवसाय का आधार – प्रत्येक व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की जोखिमें एवं अनिश्चितताएँ सदैव बनी रहती हैं। इसलिए यह कहा गया है कि व्यवसाय जोखिम का खेल है एवं व्यवसाय जोखिम से परिपूर्ण है। अतः जब तक कोई व्यक्ति इन्हें उठाने को तैयार नहीं होगा, तब तक व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता है। उद्यमिता द्वारा इन जोखिमों को वहन कर व्यवसाय की स्थापना की जाती है। इसलिए उद्यमिता को व्यवसाय का आधार कहा जाता है।

2. समाज के उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता – उद्यमिता समाज के विभिन्न उत्पादक साधनों का संगठनकर्ता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उद्यमिता द्वारा ही अप्रयुक्त प्राकृतिक,

भौतिक एवं मानवीय साधनों को एकत्रित किया जाता है, समुचित अनुपात में मिलाया जाता है, उसमें प्रभावशाली समन्वय स्थापित किया जाता है इससे साधनों का अनुकूलतम उपयोग संभव हो पाता है, न्यूनतम लागत पर श्रेष्ठ एवं अधिकतम उत्पादन करने का प्रयत्न उद्यमिता द्वारा ही संभव होता है।

3. तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास में योगदान – उद्यमिता द्वारा तीव्र एवं संतुलित आर्थिक विकास संभव हो पाता है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता द्वारा औद्योगिक अवसरों की खोज की जाती है, उन अवसरों का विदोहन करने के लिए नये–नये उद्योग स्थापित किये जाते हैं, जिससे देश का तीव्र आर्थिक विकास संभव होता है।

4. औद्योगिक वातावरण का सृजन – उद्यमिता द्वारा औद्योगिक वातावरण का निर्माण होता है। उद्यमिता द्वारा नवीन उपक्रमों की स्थापना कर, आवश्यक सामग्री की व्यवस्था कर, अनिश्चितताओं का सामना कर तथा नवाचार क्रियाएँ कर औद्योगिक वातावरण का सृजन किया जाता है।

5. पूँजी निर्माण में सहायक – उद्यमिता द्वारा पूँजी निर्माण को प्रोत्साहन मिलता है। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि किसी भी राष्ट्र की मजबूत अर्थव्यवस्था हेतु पूँजी निर्माण वृद्धि अति आवश्यक है। उद्यमिता द्वारा औद्योगिक क्रियाओं से पूँजी निर्माण दर में वृद्धि होती है।

6. क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में सहायक – क्षेत्रीय विषमताएँ राष्ट्र को कमजोर करती हैं और संपूर्ण औद्योगिक विकास में बाधक होती है। उद्यमिता इन क्षेत्रीय असमानताओं को दूर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती है। इसका कारण यह है कि उद्यमिता द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना की जाती है और उनका विकास एवं विस्तार भी किया जाता है।

7. रोजगार अवसरों में वृद्धि – उद्यमिता द्वारा नवीन उद्योगों की स्थापना विकास एवं विस्तार तथा नवाचार क्रियाओं के माध्यम से समाज में रोजगार के अधिकाधिक अवसरों का सृजन होता रहता है।

8. आर्थिक सामाजिक समस्याओं में कमी – उद्यमिता द्वारा व्यावसायिक उपक्रमों की स्थापना कर, उद्योग–धंधों को प्रोत्साहित कर तथा आय, बचत एवं पूँजी निर्माण में वृद्धि द्वारा व्यावसायिक वातावरण का निर्माण किया जाता है। इससे अनेक आर्थिक – सामाजिक समस्याओं में कमी आती है, जैसे – गरीबी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, दहेज प्रथा, सामाजिक अपराध, महिला अत्याचार एवं बाल श्रमिक शोषण इत्यादि।

9. संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग – उद्यमिता द्वारा देश में उपलब्ध प्राकृतिक एवं
मानवीय साधनों, जैसे – प्राकृतिक संपदा, कच्ची सामग्री, खनिज एवं मानवीय कौशल आदि का सर्वोत्तम उपयोग किया जाता है। यही नहीं, उद्यमिता अपने प्रबंधकीय कौशल से अप्रयुक्त साधनों का कुशल उपयोग करके राष्ट्रीय उत्पादकता में भी वृद्धि करती हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम (Entrepreneurial Development Programme E.D.P.)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ (Meaning of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अर्थ ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से है जिसके अन्तर्गत किसी व्यक्ति में नये उपक्रम स्थापित करने की सामान्य प्रवृत्ति में अनेक परिवर्तन करके उद्यमियों को आगे बढ़ाया जाता है। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों का अर्थ उन सभी व्यक्तिगत, सामूहिक, निजी क्षेत्र के या राज्यों एवं केन्द्रीय सरकारी प्रयासों से है जो उद्यमियों के विकास हेतु एवं साहसिक श्रेणी में व्यक्तियों के प्रवाह को प्रोत्साहित किए जाते हैं।

इस प्रकार उद्यमिता विकास कार्यक्रम का अभिप्राय ऐसे कार्यक्रमों या प्रयासों से है जिसके

द्वारा–

1. किसी व्यक्ति के मन में दृढ़ इच्छा शक्ति उत्पन्न कर उसे उद्यमिता का मार्ग अपनाने के लिए प्रेरित किया जाता है।
2. किसी व्यक्ति की आन्तरिक ताकतों का विकास किया जाता है।
3. किसी व्यक्ति को शिक्षण–प्रशिक्षण प्रदान कर उसकी बौद्धिक, तकनीकी एवं वैचारिक क्षमताओं को विकसित किया जाता है।
4. स्व–रोजगार की इच्छा जागृत की जाती है।
5. समाज में उद्यमिता की प्रवृति का विकास किया जाता है।
6. यह एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है।

एक दृष्टि में उद्यमिता विकास

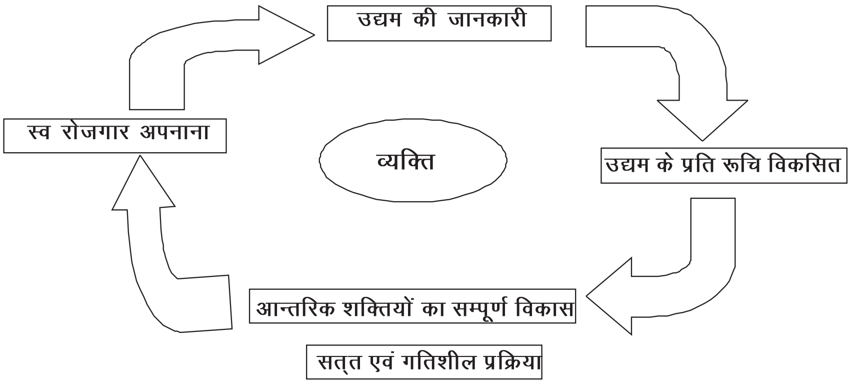

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की विशेषताएँ (Characteristics of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं –

1. उद्यमिता की इच्छा की उत्पत्ति – उद्यमिता विकास कार्यक्रम व्यक्तियों में उद्यमिता की सोच को उत्पन्न करते हैं। जिससे व्यक्ति में उद्यम के प्रति जिज्ञासा बढ़ती है और वह उद्यम प्रारंभ करने के बारे में विचार करने लगता है।

2. उद्यमियों का निर्माण – उद्यमिता कार्यक्रम पहली पीढ़ी के उद्यमियों (First Generation Entrepreneur) का निर्माण करते हैं। इसका कारण यह है कि इसमें जिन्हें व्यवसाय का बिल्कुल ज्ञान नहीं हैं, उनमें व्यवसाय करने का साहस उत्पन्न किया जाता है ताकि वे सफल व्यवसायी बन सके तथा वह साहस पीढ़ी दर पीढ़ी बना रह सकें।

3. उद्यमिता बनने की प्रेरणा एवं प्रोत्साहन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमी में प्रेरणा एवं प्रोत्साहन दोनों करते हैं। उद्यमिता विकास कार्यक्रमों द्वारा प्रतिभागियों को उद्यमी बनने की प्रेरणा दी जाती है तथा युवाओं को स्व रोजगार की ओर प्रेरित किया जाता है।

4. सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया – उद्यमिता विकास कार्यक्रम एक सतत् एवं गतिशील प्रक्रिया है। जो उन्हें न केवल स्थापना वरन पल्लवित व विकसित करने का कार्य करती है। इसका कारण है कि ऐसे कार्यक्रम व्यक्तियों की साहसिक क्षमताओं एवं योग्यताओं को पहचानने, विकसित करने एवं उनके प्रयोग हेतु निरंतर अधिकतम अवसर उपलब्ध कराते हैं और

परिस्थिति के अनुसार कार्यक्रमों में आवश्यक परिवर्तन भी करते हैं।

5. उद्यमिता प्रवृत्ति का विकास – उद्यमिता विकास कार्यक्रम उद्यमिता प्रवृत्ति का निरंतर विकास करता रहता है, परिणामस्वरूप व्यक्ति को उद्यमी एवं नव उद्यमी को सफल उद्यमी में परिवर्तित किया जाता है।

6. मूल्यांकन एवं परिमार्जन – उद्यमिता विकास कार्यक्रम लाभार्थियों की विभिन्न क्षमताओं जैसे साहस, निर्णयन क्षमता, व्यूह रचनात्मक रणनीति, दृढ़ निश्चय, आत्मविश्वास तथा शारीरिक एवं मानसिक क्षमता का मूल्यांकन करते रहते हैं और उनमें आवश्यक सुधार कर उन्हें परिमार्जित करते हैं।

उद्यमिता विकास कार्यक्रम के उद्देश्य
(Objectives of Entrepreneurial Development Programme)

उद्यमिता विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य व्यक्तियों को व्यवसाय करने के लिए प्रेरित करना होता है। शिक्षण–प्रशिक्षण के नवीन नवाचारों से अवगत कराकर उन्हें सफल व्यवसायी बनाना है। उद्यमिता विकास कार्यक्रम के सामान्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं–

1. उद्यमियों में उद्यमीय गुणों को विकसित एवं सुदृढ़ करना।
2. प्रथम पीढ़ी के व्यवसायियों एवं उद्योगपतियों का निर्माण करना।
3. मानव संसाधन की प्रकृति एवं व्यवहार को समझने के योग्य बनाना।
4. उपलब्ध संसाधनों की सूचना उपलब्ध कराना।
5. व्यावसायिक वातावरण के विश्लेषण में सहयोग करना।
6. परियोजनाओं के निर्माण में उद्यमियों की सहायता करना।
7. लघु एवं कुटीर उद्योगों को प्रवर्तन करना।
8. स्व–रोजगार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करना।
9. विपणन संबंधी जानकारी प्रदान करना।
10. उपक्रम स्थापना प्रक्रिया को समझाना।
11. सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की जानकारी उपलब्ध कराना।
12. उद्यमियों की शंकाओं का समाधान, समस्याओं का निदान एवं उपचार।
13. वैधानिक प्रावधानों की जानकारी के लिए सतर्क करना।
14. व्यावसायिक नीतिशास्त्र का महत्व समझाना।
15. व्यवसाय के संचालन का प्रशिक्षण प्रदान करना।
16. देश के सभी भागों में उद्यमियों को विकसित करना।

राजस्थान में उद्यमिता, रोजगार तथा कौशल विकास हेतु किए गए अभिनव प्रयास विगत वर्षों में राजस्थान में उद्यमिता एवं कौशल विकास हेतु सरकार द्वारा अभिनव प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा कौशल विकास तथा उद्यमिता विकास द्वारा राज्य में औद्योगिक वातावरण बनाने की दिशा में सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कारण इस क्षेत्र में राज्य को अनेक पुरस्कारों से नवाजा भी गया है। उद्यमिता के तीव्र विकास हेतु कौशल, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग का पृथक से गठन किया गया है।

■ प्रदेश के युवाओं को आजीविका एवं कौशल विकास के अवसर व्यापक रूप से उपलब्ध हो सके इस बाबत् आरमोल को पुनर्जीवित किया जाकर मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार को इसका अध्यक्ष एवं राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अध्यक्ष को मिशन का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही विभिन्न कौशल योजनाओं का सममिलन होगा और प्रदेश के युवा लाभान्वित हो सकेंगे। राजस्थान

कौशल एवं आजीविका विकास निगम, क्रियान्वयन विंग है। राजस्थान सरकार द्वारा निर्धारित कौशल प्रशिक्षण के भव्य लक्ष्य की प्राप्ति हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा निम्नलिखित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

■ रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम – इस कार्यक्रम के अंतर्गत माह अप्रैल 2016 तक 86845 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में 175 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों द्वारा 200 से अधिक कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं। प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार एवं स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाए जाते हैं।

■ पंडित दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना – ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की इस योजना में निगम द्वारा 43 प्रोजेक्ट इम्पलीमेंटिंग पार्टनर्स (पी.आई.ए.) के साथ एम ओ यू किये गये हैं जिनमें से 36 पी. आई. ए. द्वारा वर्तमान में 35 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किए जा रहे हैं ।
माह अप्रैल 2016 तक 28715 युवाओं का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है। जिनमें अनुसूचित जाति के 7650, अनुसूचित जनजाति के 3847 एवं 7517 महिलाएँ प्रशिक्षित हुई हैं। प्रशिक्षित युवाओं में 11845 युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर दिये गये हैं।

■ **नियमित कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम –** इस कार्यक्रम के अंतर्गत 7911 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है। वर्तमान में 24 प्रशिक्षण प्रदाता एजेन्सियों द्वारा 40 कौशल प्रशिक्षण केन्द्र संचालित किये जा रहे हैं।

■ **कौशल विकास पहल योजना :** भारत सरकार की इस योजना के अंतर्गत सरकारी आई. टी. आई. एवं निजी संस्थाओं के माध्यम से लघु अवधि के कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 2314 युवाओं को विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है।

■ **कन्वर्जेंस योजना :** राज्य सरकार द्वारा राज्य के समस्त विभागों द्वारा संचालित लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना के माध्यम से ही संचालित किये जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है।

■ वर्ष 2015–16 के बजट में उद्योगों के लिए लैंड बैंक बनाने की घोषणा की गयी है। रीको द्वारा राज्य में 6 हजार 800 हैक्टेयर भूमि का लैंड बैंक बनाया जा चुका है। आगामी वर्ष में लैंड बैंक को 10 हजार हैक्टेयर भूमि तक बढ़ाया जाना प्रस्तावित है।

■ तेजी से बदलते औद्योगिक परिवेश में उद्यमिता, भूमि एवं भवन पर पूंजी निवेश के स्थान पर समस्त सुविधायुक्त परिसर में अपना प्रोजेक्ट स्थापित करना चाहते हैं। राज्य में पॉल्यूशन फ्री इण्डस्ट्रीज की स्थापना को सुगम बनाने के लिए रीको द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में Plug and Play सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

■ प्रदेश में राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी –2015 लागू की गई है। इसके तहत राज्य में युवा उद्यमियों को स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इस हेतु वर्ष 2016–17 में 10 करोड़ 85 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है।

■ इलेक्ट्रानिक्स सिस्टम डिजाईन एवं विनिर्माण (EDSM) क्षेत्र में निवेश आकर्षित करने के लिए रीको द्वारा कारोली औद्योगिक क्षेत्र, भिवाड़ी में 122 एकड़ भूमि क्षेत्र पर ग्रीन फील्ड इलेक्ट्रोनिक मेनूफेक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा।

■ प्रदेश में टैक्सटाइल प्रोसेसिंग एक महत्वपूर्ण उद्योग है। बालोतरा, पाली तथा जसोल में टैक्सटाइल के उन्नयन को मूर्तरूप देने के लिए राज्य सरकार द्वारा 66 करोड़ रूपये का अंशदान दिया जाएगा।

■ टेक्सटाइल क्षेत्र में लगभग 11 हजार युवकों को एकीकृत कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस योजना के तहत अब तक प्रशिक्षित युवकों में से 90 प्रतिशत को रोजगार उपलब्ध हो चुका है।

■ विश्व बैंक एवं औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार ease of doing business में राजस्थान प्रदेश, देश में छठे स्थान पर है। सरकार की मंशा है कि राज्य में उद्योग की स्थापना एवं उसके संचालन को आसान बनाया जाए, जिसके लिए वर्तमान में संचालित व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाना प्रस्तावित है। नवीन व्यवस्था में संबंधित विभाग, बोर्ड, प्राधिकरण के एक एक अधिकारी को सशक्त किया जाकर एकल खिड़की के तहत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण हेतु जिम्मेदार बनाया जाएगा, जिससे कि एकल खिड़की पर कार्यरत विभागीय पदाधिकारी स्वयं के स्तर पर ही निर्णय ले सके और उद्योग स्थापित करने की अनुमति त्वरित गति से मिल सके। साथ ही राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना (RIPS) 2014 online portal को राज्य के सभी जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा।

■ नवयुवकों में design development के प्रति बढ़ती रूचि को देखते हुए राज्य में जयपुर के पास डिजाइन इनोवेशन हब बनाने के लिए National Institute of Design की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए राज्य सरकार द्वारा 50 एकड़ भूमि निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी।

■ राज्य की अर्थव्यवस्था में माइक्रो, स्माल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज (MSME) क्षेत्र एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इन्हें प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2015 में MSME Policy के साथ–साथ अन्य योजनाएँ जारी की गयी हैं।

– जयपुर एवं अजमेर में MSME Investment Facilitation Centre (MIFC) स्थापित किए गए हैं। इस प्रकार के केन्द्र सभी जिला उद्योग केन्द्रों में चरणबद्ध रूप से स्थापित किए जाएँगे। इन केन्द्रों के माध्यम से राज्य में उद्यमियों के लिए विभिन्न उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन से अनुमोदन तक की संपूर्ण प्रक्रिया को एकीकृत रूप से सरल, समयबद्ध और सुगम बनाने के उद्देश्य से ऑन लाइन सिंगल विंडो की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएँगी।

– माइक्रो एंटरप्राइजेज की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए सभी जिलों में चरणबद्ध रूप से livelihood business incubator की स्थापना की जाएगी। इस हेतु 5 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है।

– प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करने, मार्केट लिंकेज विकसित करने तथा शिल्पकारों के कौशल विकास हेतु राजस्थान क्राफ्ट कौंसिल का गठन किया है। हैंडमेड इन राजस्थान ब्रांड को प्रोत्साहित करने तथा प्रदेश के दूर–दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में बसे शिल्पकारों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए Online Handmade in Rajasthan Portal स्थापित किया जाएगा।

– ग्रामीण अकृषि विकास अभिकरण RUDA के माध्यम से आगामी 5 वर्षों में 60 हजार artisans को उच्च स्तर का प्रशिक्षण दिलाने हेतु प्रोफेशनल सर्विस हायर की जाएगी। इस हेतु आगामी वर्ष 2 करोड़ रूपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

– खादी को फैशन की मुख्यधारा में लाने एवं राजस्थान खादी बोर्ड के नये शोरूम खोलने के लिए 2 करोड़ 50 लाख रूपये का अनुदान दिया जाएगा। राजस्थान लेदर हेंडिक्राफ्ट एंड

मार्डनाइजेशन स्कीम के तहत ग्रामीण दस्तकार समुदाय द्वारा संचालित चमड़ा आधारित हाउस होल्ड उद्योग के लिए विशेषज्ञ सहायता उपलब्ध करायी जाएगी एवं आगामी वर्ष में इस योजना का प्रावधान वर्ष 2015–16 के मुकाबले पाँच गुना किया जाना प्रस्तावित है।
– सुजानगढ़ (चूरू) में उप–जिला उद्योग केन्द्र खोला जाएगा।

राज्य स्तर पर उद्यमियों की सहायता के लिए अन्य विभिन्न संगठन भी कार्यरत हैं। जो निरंतर उद्यमिता वातावरण निर्माण में सहयोग दे रहे हैं –

1 राजस्थान लघु उद्योग मंडल
2 राजस्थान लघु उद्योग निगम
3 उद्योग निदेशालय
4 जिला उद्योग केन्द्र
5 राज्य वित्त निगम
6 राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड
7 राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड
8 राजस्थान हाथ करघा विकास निगम
9 राजस्थान तकनीकी परामर्श संगठन लिमिटेड

अभ्यास प्रश्न

बहुचयनात्मक प्रश्न –

1 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले तत्त्व कौन से हैं?
अ. व्यक्ति की आकांक्षा ब. साहस विकास कार्यक्रम
स. शिक्षण–प्रशिक्षण सुविधाएँ द. उपर्युक्त सभी।

2 देश की अर्थव्यवस्था के विकास में किसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका होती है?
अ. उद्यमिता ब. नियोक्ता स. कर्मचारी द. वैधानिक प्रावधान
3 उद्यमिता में अनिवार्यतः पायी जाती है?
अ. जोखिम एवं अनिश्चितताएँ ब. रोजगार सृजन
स. संसाधनों का सर्वोत्तम प्रयोग दृ उपर्युक्त सभी
4 औद्योगिक विकास में क्षेत्रीय असमानता किस प्रकार दूर की जाती है?
अ. पिछड़े क्षेत्रों में नवीन उद्योगों की स्थापना करके
ब. स्थापित उद्योगों का विकास विस्तार करके
स. उद्योगों में नवप्रवर्तन व सृजनात्मक कार्य करके
दृ उपर्युक्त सभी द्वारा
5. राजस्थान में रोजगारोन्मुखी कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम द्वारा अप्रैल, 2016 तक कितने युवाओं को प्रशिक्षित किया जा चुका है?
अ. 86780 ब. 86845 स. 85840 द. 86645

उत्तर मालाः 1–द, 2–अ, 3–अ, 4–द, 5–ब

अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न–

1 उद्यमिता को समझाइए।
2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम क्या है?

3 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले दो तत्वों को बताइए।
4 उद्यमिता औद्योगिक वातावरण का सृजन कैसे करती है?

लघूत्तरात्मक प्रश्न

1 उद्यमिता व्यवसाय का आधार है। समझाइए ।
2 उद्यमिता विकास कार्यक्रम की दो विशेषताएँ लिखिए।
3 उद्यमिता विकास कार्यक्रम किस प्रकार सतत एवं गतिशील प्रक्रिया है। समझाइए।
4 अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता के किन्हीं दो महत्वों को समझाइए।
5 उद्यमिता विकास में राज्य में कार्यरत कुछ संगठनों के नाम दीजिए।

निबंधात्मक प्रश्न

1 उद्यमिता विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों को विस्तार से समझाइए।
2 किसी देश की अर्थव्यवस्था के विकास में उद्यमिता का क्या आशय है? बताइए।
3 उद्यमिता विकास कार्यक्रम के क्या उद्देश्य हैं?इन कार्यक्रमों की विशेषताओं को समझाइए।
4 राज्य में उद्यमिता, रोजगार तथा विकास के क्षेत्र में किए गए सरकारी प्रयासों को समझाइए।